



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

410091

विक्रय विलेख

ग्रामिण सी वनगांवि - रु० 7,20,993/-
 नालाट मूल्य - रु० 2,43,250/-
 जदा किने गये जनसल लेण रु० 72,100/-

- | | | | |
|----|------------------|---|-------------------------|
| 1. | भूमि का प्रकार | - | कृषि |
| 2. | पणना | - | लखनऊ |
| 3. | गाम | - | अहमदनगर |
| 4. | संपत्ति का विवरण | - | भूमि अलग मल्ल 1075 रुका |



मि. अ. अ. अ.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

410082

-2-

0.278 हे० का 1/2 भाग अर्थात्
रकबा 0.139 हे० स्थित पाग-
आलमऊ, परगना लखौली व जिला
सहजपुर।

- | | | | |
|----|-----------------------|---|--|
| 5. | मापन की ईकाई | - | हेक्टेअर |
| 6. | सम्पत्ति का क्षेत्रफल | - | 0.139 हेक्टेअर |
| 7. | सड़क की स्थिति | - | सुजानपुर रोड व अमरगंज रोड पर से
लगभग 200 मीटर से अधिक |
| 8. | सम्पत्ति का प्रकार | - | कृषि |

01/10/03

Handwritten signature

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

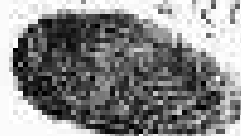
A 894940

-3-

9. पेड़ों की स्थिति - नहीं
10. खेति/ कुआँ अन्य - कुछ भी नहीं है।

चौहद्दी खसरा नं० 1079

जलर : नवरोड
अधिन : राजस्थान पुलिस/1079 उर्फ लोकायत
पुरव : खसरा संख्या-1079
पविचम : खसरा संख्या-1079



मि. 1079

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

4 894938

पक्ष की संख्या- 1

द्वितीय पक्ष की संख्या- 1

शिकेला का विवरण	केला का विवरण
बेस्टन पुत्र रामा निवासी अजयमऊ, पारसना तहसील व जिला लखनऊ।	मिथीलाल पुत्र बाबेलाल निवासी ग्राम मिरापुर मिथी चौक नौगाँव, तहसील व जिला फतेहपुर।
न्यायालय- कृषि	न्यायालय- कृषि



मिथीलाल

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 894939

यह दिव्य विलेख खैरतपुर पुत्र रामा निवासी -अहमनऊ, पगना
तहसील व मिला तख्तऊ जिले अने विवेता करा गया है एवम् मिथीलाल
पुत्र बाकेलाल निवासी ग्राम मिर्जापुर मिटारी पो0 नैनीय, तहसील व जिला
फतेहपुर जिन्हें आगे केता करण गया है के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विवेता भूमि क्षमता रकबा 1079 रकबा 0.278 हे0 का
1/2 भाग अर्थात रकबा 0.139 हे0 स्थित गांव- अहमनऊ, पगना



मि. बाकेलाल

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 894937

- 6 -

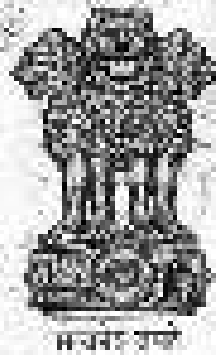
राजनीत व जिला सख्तनऊ का मालिक, कागित व काबिज है तथा उपरोक्त
कालागित प्रत्यक्षिष्ट अतीनी का संख्या 00037 के अनुसार भूमि विवेका
के नाम का अमल दरानन्द राजभूष अथिलेखी में हो गया है। विवेका को
मैत्री की सख्त आवश्यकता है इसलिये वह अपना सम्पूर्ण जिला केला को
इस विवेक विवेका द्वारा लिख्य कर रहा है विवेका उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि
के मालिक, कागित व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि
भूमि है और उक्त भूमि सरकारी भूमि या हिस्सा नहीं है। यह कि विवेका
को घोषित करता है कि उपरोक्त वसित भूमि सभी प्रकार के भारों से



मि. अ. लाल

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA

रु. 500



FIVE HUNDRED
RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



-7-

मुक्ता एवं पाक व ताफ है तथा गिरेला में उसे इस विषय के पूर्व कही
बय. दिया, निम्नी या अनुमोदित इत्यादि नहीं किया है। गिरेला में जल
भूमि पर भूमि कृषि या अन्य प्रकार का कोई कृषि नहीं किया है। यदि
कोई ऐसा कृषि भविष्य में निवृत्तता है तो उससे अभिप्रेत गिरेला व उसके
वर्तमान व विविध उत्तराधिकारी होंगे। उपरोक्त भूमि या जंगल कोद भाग
जिले व्यवस्थापन या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद या वस्तु विषय
नहीं है, न ही कुछ इत्यादि है। गिरेला से उत्पन्न तथा भूमि में किसी
अन्य व्यक्ति या स्वतः, एक या बंधा इत्यादि नहीं है, एवं गिरेला को जल

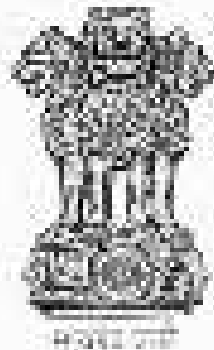
0 1 10 10 10

मि. अ. लाल

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500



FIVE HUNDRED
RUPEES

पाँच सौ रुपये

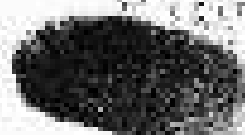
Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के फलस्वरूप कुल विक्रय मूल्य रु 7,20,993/- के प्रतिफल में जिसका उपरोक्त देता द्वारा विवेकता भी इस विनिष्ठा के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार गुणगान कर दिया गया है एवं जिसकी प्रामाणिकता को विवेकता पूर्ण स्वीकार करते हैं, तदनुसार उक्त विवेकता उक्त देता के हथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विनिष्ठा के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को काई वेद दिया है, एवं विवेकता ने विशिष्टभूत भूमि का गैर के पर कब्जा देता को बखूबी करा दिया गया है।

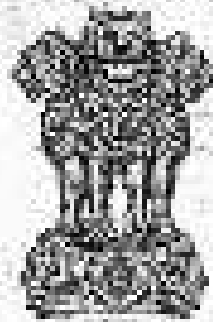


मि. प्रदीप

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500



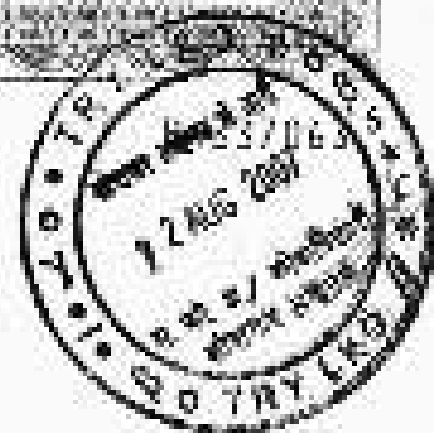
FIVE HUNDRED
RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तरप्रदेश UTTAR PRADESH



- 9 -

अब जल आधी पर विद्येता तथा उसके वारिष्ठान का कोई अधिकार नहीं है। विद्येता ने विक्रयशुद्ध सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व छोडा के लिए केला की उत्तान्तरित कर दिया है। अब कुल विक्रयशुद्ध सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकनाम-स्वामित्व व इन्विस्वर व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उत्थोग करने। विद्येता व उसके वारिष्ठान ठगने कीरी प्रकार की अद्वयन बाधा नहीं टाल सकेंगे एवं न ही कोई भाग पर सकेंगे और यदि विक्रयशुद्ध सम्पत्ति कथवा कोई भाग विद्येता के स्वामित्व में गुरि के

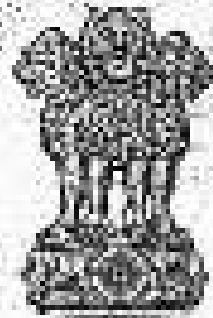


मि. वि. वि. वि.

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500



FIVE HUNDRED
RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

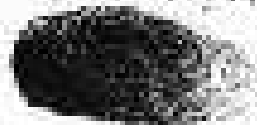
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

8 337062

- 10 -

कारण या कानूनी अदम्य या कानूनी बुद्धि के कारण केला या उसके
विरुद्ध निष्पक्षतापूर्वक इत्यादि के करने या अधिकार या स्वत्व से निष्पक्ष
जाने तो केला उसके विरुद्ध, निष्पक्षतापूर्वक इत्यादि को यह एक जैसा कि
वह अपना समस्त मुकदमा यथा हर्ष व क्षय, विज्ञाता की वस्तु, अवल
सम्पत्ति से जैसी अवलोकन वस्तु का ले। इस स्थिति में विज्ञाता एवं उसके
विरुद्ध हर्ष व क्षय देने हेतु बाध्य होगा।

P. S. S. S. S.



P. S. S. S. S.

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



सत्यमेव जयते

ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

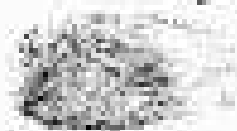
R 580066



यह कि शिखर यह भी ध्यान करे कि ऊपर भुक्ति लक्षणक-
विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा उदयपुर आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ तथा अन्य स्थानों पर सार्वजनिक अर्थों के सार्वजनिक मर्यादा बना
अधिकारिता नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है।

यह कि शिखर विकास प्रणाली को दखिल करके राज्य
अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा ले तो शिखर को कोई आपत्ति न होगी
और यह कि हम विकास प्रणाली के पूर्ण रूप में अगर कोई व्यवस्था नहीं करा

दिनांक २२/१२/७५



महेश्वर

यह भार इस सम्बन्धित पर होगा तो उसको विद्येता भुगतान व वहन करेंगे, विद्येता को कोई आवृत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त प्लॉट नम्बर ग्राम अहममऊ अर्धनगरीय क्षेत्र के अतिविशिष्ट ग्राम को सम्बन्धित आता है इसलिए निर्धारित सार्वजनिक रेट रु० 17,50,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से निम्नीय भूमि 0.139 हेक्टेयर की कुल मातृका 2,43,250/- होती है तथा निम्न मूल्य, भूमि की बाजार मूल्य से अधिक है इसलिए, नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रु० 72,100/- गनरल स्टॉक में अग्र किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विद्येता भूमि भूमि के उपयोग के लिए खाली पड़ी है। भूमि में कोई पेड़-पौधा आदि नहीं है तथा किसी प्रकार की अव्यवस्थित गतिविधियाँ नहीं चल रही हैं व कोई गलतफहमी, कुआँ भी नहीं है, तथा 200 मीटर के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है विद्येता भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। निम्नीय भूमि सुल्तानपुर रोड से व अमर अरीड पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विद्येता एवं वेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विषय विशेष के निष्पन्नता का सम्बन्ध बाय वेता द्वारा वहन किया गया है।

निम्नीय यह विक्रय का विद्येता ने वेता के पास में लिख दिया ताकि सनाद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आये।

परिशिष्ट: भुगतान विवरण

1. विद्येता को रु० 7,20,993/- द्वारा चेक संख्या 594 056





216



1999

दिनांकित 24.08.2007 पंजाब नेशनल बैंक, इन्दौरागंज लखनऊ से
सेवा को प्राप्त हुए।

इस प्रकार विदेहा को कुल विध्वंस मुल्य 7,20,993/- (स्वयं तीन लाख बीस हजार नौ सौ तिरान्चबे मात्र) देता से प्राप्त हुए जिसकी प्रतति विदेहा स्वीकार करने है तथा अब विदेहा को देता से कुछ भी लेना शेष नहीं है।

1256

दिनांक : 24.06.2007

नवाह :-मेरा ही पहायान थी

1. Small Dress -
\$10.00 C.C. -
USA -
6/15

निष्कर्ष

2. विवेक की पट्टन की

971

राजा कुमरजीजी नई नई मिथिला

उद्देश्य

MLA

मिन् जगदी

विश्वविद्यालयी शिक्षण

पञ्चमः

—EIN

Page 10

附錄

பேர்த்

Registration No.

1540

Year

2009

Book No.

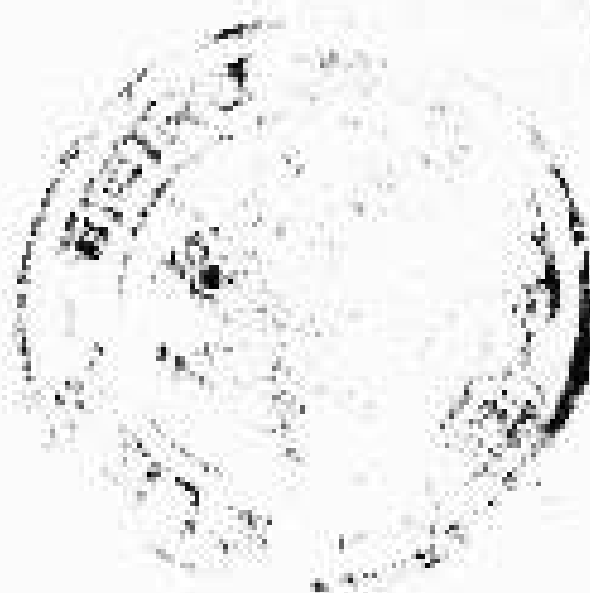
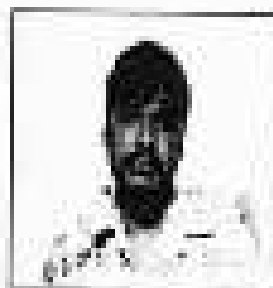
1

001: 0000

018

சென்னை மருத்துவ கல்வி நிறுவனம்

சென்னை



10

6/9/41 23

11/25/41

4

10/2/41 11

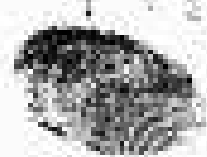
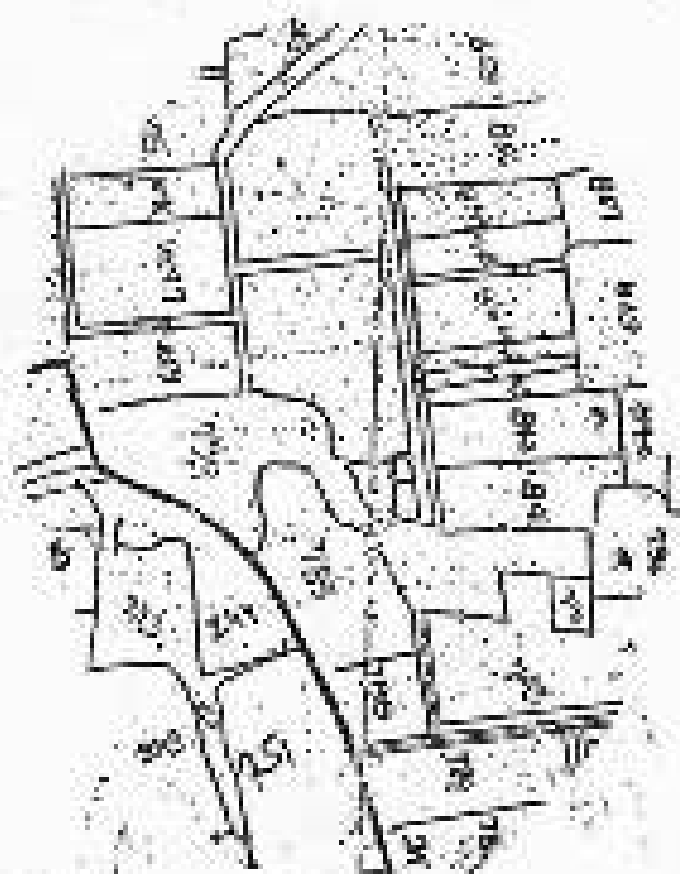
1079

10/2/41

10/2/41

1079

10/2/41



10/2/41

10/2/41

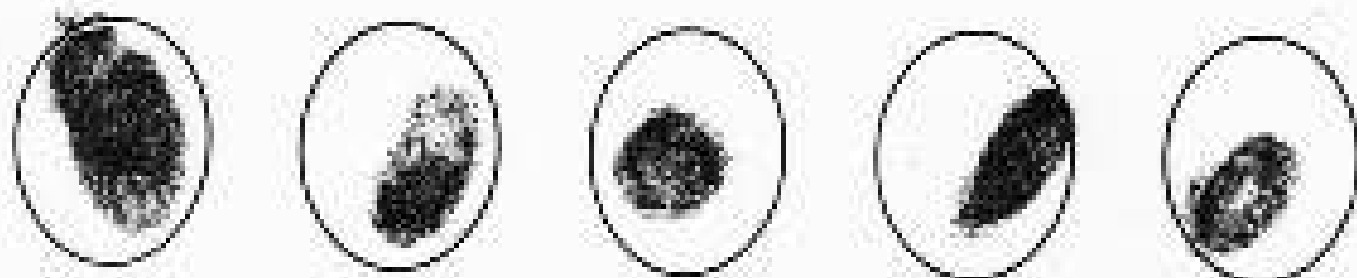
10/2/41



रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1908 की धारा 32-ए के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिंट्स

सहचर/सिक्ता का नाम व पता 10/10/20

बायें हाथ के अंगुलिओं के चिन्ह :-



दाहिने हाथ के अंगुलिओं के चिन्ह :-



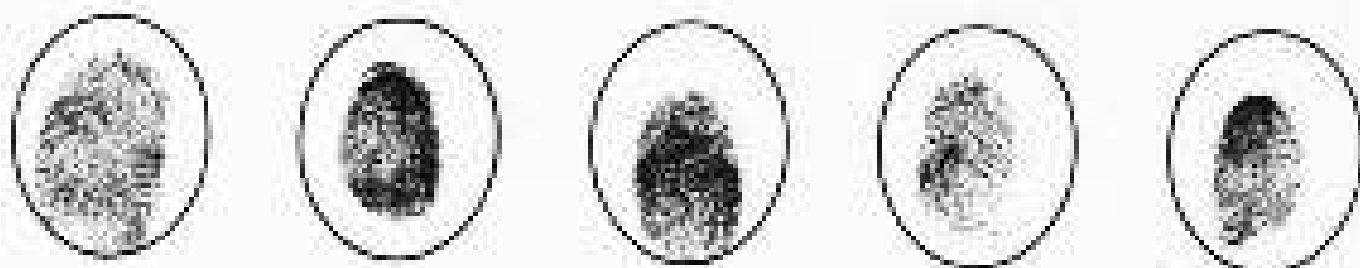
सहचर/सिक्ता/सिक्ता के हस्ताक्षर

सिक्ता/सिक्ता का नाम व पता : 10/10/20

बायें हाथ के अंगुलिओं के चिन्ह :-



दाहिने हाथ के अंगुलिओं के चिन्ह :-



सिक्ता/सिक्ता के हस्ताक्षर
10/10/20

आम दिनांक 25/08/2007 को
पृष्ठ सं 1 तिथि सं 6868
पृष्ठ सं 203 से 131 पर समाप्त 8040
प्रतिष्ठित किया गया ।

आर. के. श्रीवास्तव
उप निदेशक (द्वितीय)
लखनऊ
25/08/2007

